एम. वेंकटरमण हेब्बार (मृतक) द्वारा वारिसान

बनाम

एम. राजगोपाल हेब्बार और अन्य

05 अप्रैल, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मारकण्डे काटजू, न्यायाधीश)

बंटवारा:- संयुक्त पारिवारिक सम्पति - अपीलार्थी आौर उत्तरदाता सहमालिकों ने एक पारिवारिक समझौता किया, जिसके तहत अपीलार्थी के द्वारा एक निर्धारित राशि का भुगतान उत्तरदाताओं को करने पर उत्तरदाता को सम्पति में अपना हिस्सा छोड़ना था। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने पर उत्तरदाताओं द्वारा विभाजन का दावा किया गया।

प्रश्न यह था - यदि पारिवारिक समझौते को प्रभावी नहीं बनाया गया है तो क्या उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया वाद डिक्री योग्य है ?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 8 नियम 3 व 5 - विभाजन के वाद में वादी द्वारा किए गए कथनों का प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में इन्कार नहीं किया गया तो वादी द्वारा किए गए कथनों को स्वीकृत माना जाएगा। धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

अपीलार्थी और उत्तरदाता संयुक्त पारिवारिक सम्पति सहमालिक थे। उन्होंने मिलकर एक समझौता किया कि अपीलार्थी के द्वारा एक निर्धारित राशि का भुगतान उत्तरदाताओं को करने पर उत्तरदाता सम्पति में अपना हिस्सा छोड़ देगा, किन्तु अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया।

वर्तमान अपील में विचार के लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहां पारिवारिक समझौते को प्रभावी नहीं बनाया गया हो तो क्या उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया वाद डिक्री योग्य है ?

अपील, न्यायालय द्वारा खारिज की गई और अभिनिर्धारित किया गया-

1.1 पारिवारिक समझौता विलेख का निष्पादन विवादित नहीं है, इसके अतिरिक्त इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि सभी सहमालिक इसमें पक्षकार नहीं हैं। कोई भी सहमालिक अपने पृथक्करण के स्पष्ट आशय को व्यक्त करके संयुक्त परिवार की स्थिति में विच्छेद का कारण बन सकता है। ऐसा आशय विभाजन का दावा पेश कर भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन संयुक्त सम्पति में इस तरह के पृथक्करण के बावजूद पक्षकारान के

पास संयुक्त रूप से भूमि का कब्जा जारी रह सकता है, जब तक कि पारिवारिक सम्पति का विभाजन सीमा के अनुसार ना हो।

1.2 उपरोक्त मामले के सन्दर्भ में इस न्यायालय का यह मत है कि पारिवारिक समझौते के उक्त विलेख को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्पति का त्याग भविष्य में प्रभावी होना था। जहां पर सीमाओं के अनुसार विभाजन नहीं हुआ है, वहां इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के दावे को खारिज कर दे, पारिवारिक समझौते के कारण, संयुक्त परिवार की सम्पति का सीमाओं के अनुसार पूर्ण विभाजन होना बताया गया है। हालाँकि, सह-हिस्सेदारों में से एक, उक्त कथित पारिवारिक समझौते में शामिल नहीं हुआ।

1.3 इसके अलावा, पक्षकारान के बीच अनुबंध एक प्रासंगिक अनुबंध था। इसका प्रभाव केवल वादी और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 तक 15000/-रूपये की उक्त राशि के भुगतान पर होना था। ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अपने लिखित बयान में किए गए दावों का भी कोई खण्डन नहीं किया गया था, इसलिए उक्त कथनों को स्वीकृत माना जाएगा।

1.4 यदि कोई याचिका, जो मुकदमा को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रासंगिक थी, विशेष रूप से पारित नहीं की गई थी, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने का हकदार था कि उसे स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. न्यायालय ने एक विवाद्यक तय कर सकारात्मक निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी ने वादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में 15000/-रूपये की उक्त राशि का भुगतान नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी भी तरह की त्रुटि की है कि पारिवारिक समझौते के कथित विलेख के कारण, सहमालिकों ने संयुक्त परिवार की सम्पति को सीमा के अनुसार विभाजित नहीं किया था।

इस प्रकार वादी/प्रतिवादीगण को उक्त राशि 15000/-रूपये प्राप्त करके संयुक्त परिवार की सम्पतियों में अपने अधिकार को छोड़ना बाकी थी। किन्तु पारिवारिक समझौता विलेख को इसकी पूर्णता प्रदान नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि इस आधार पर भी, वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया जाना चाहिए था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 7061/2000

आर. एफ. ए. संख्या 513/1992 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.03.1999 से।

अपीलार्थी के लिए एस.एन. भट्ट, एन.एस. पंवार और डी.पी. चतुर्वेदी

रेस्पोडेंट के लिए सुनीता हरीश, ललित मोहिनी भट्ट, नवीन आर. नाथ, के.के. मणि और शिव कुमार सूरी

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. मुकदमे में प्रतिवादी नम्बर 1 यहां अपीलार्थी है। इसके पक्षकार स्वीकार्य रूप से मुकदमे की सम्पति के सहमालिक थे। पक्षकारान की वंशावली निम्नलिखित है -

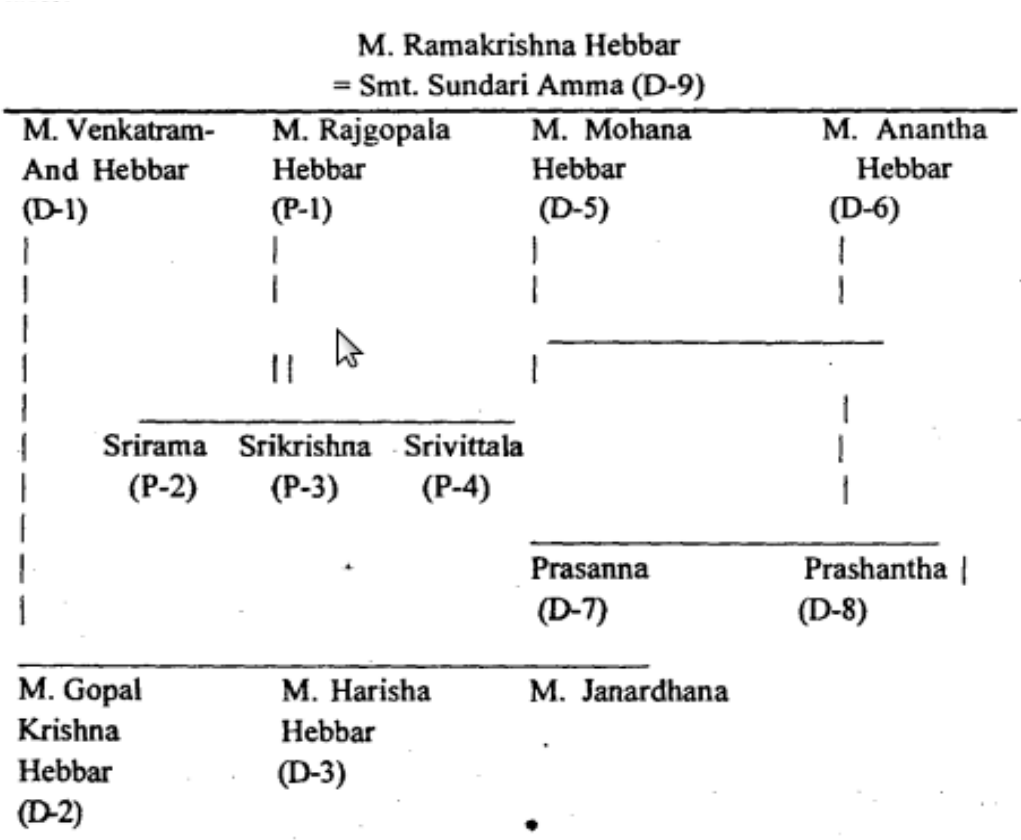

प्रतिवादीगण में से एक के उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। उक्त कथित पारिवारिक समझौते में कहा गया था -

"हममें से प्रत्येक परिवार की सम्पति में 1/4 हिस्सा पाने का हकदार है। चूंकि वह सम्पति एक छोटा सा सुपारी उद्यान है और चूंकि पास में अलग घर बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उस सम्पति को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए बकाया के रूप में हम में से एक को नंबर 2 और 4 को 15000/-रुपये नकद का भुगतान करना होगा। यह राशि 1000/- रुपये की 15 वार्षिक किस्तों में भुगतान की जानी है। अंतिम किस्त के भुगतान पर हममें से 2 और 4 को अपना भुगतान नम्बर 1 के पक्ष में जारी करन होगा। हम में से नम्बर 1, 2 और 4 इसके लिए सहमत हो गए। पहली किस्त मार्च, 1973 के अंत से शुरू होनी है और मार्च, 1987 के अंत में 15 साल की अवधि के साथ समाप्त होनी है।

हम में से नम्बर 2 और 4 का विवाह परिवार के घर में नम्बर 1 द्वारा किया जाना है। यदि उस वर्ष शादी के कारण किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो 1/2 (आधी) राशि का

भुगतान उसी वर्ष किया जाना है और शेष राशि का भुगतान अगले वर्ष में किया जाना है।

तद्नुसार यदि निर्धारित राशि के अनुसार पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे मार्च, 1990 के अंत तक हम में से नम्बर 1 द्वारा भुगतान किया जाना है और हम में से नम्बर 1 की कीमत पर नम्बर 2 और 4 से एक रिलीज डीड निष्पादित करवाना है।

हममें से नम्बर 2 और 4 को मई, 1976 के अंत तक अलग-अलग घर बनाने होंगे और वहीं रहना है।

चूंकि परिवार के घर में पर्याप्त चल-अचल सम्पति और सोने के गहने नहीं हैं, इसलिए घर में नम्बर 2 और 4 का कोई अलग हिस्सा नहीं है, हममें से नम्बर 1 परिवार का बकाया, यदि कोई हो और धार्मिक विनियोग का खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी है।

अपनी मां के भरण-पोषण के लिए हममें से प्रत्येक को 2 मुरास चावल और 25/-रुपये प्रतिवर्ष देने का दायित्व है, जिसकी वे रसीदें प्राप्त करें और उसका अंतिम संस्कार हममें से नम्बर 1, 2, 3 और 4 द्वारा समान शेयरों में किया जाना है। क्रमांक

2 और 4 पारिवारिक ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम में से नम्बर 3 का हिस्सा हम में से नम्बर 1 द्वारा बरकरार रखा जाता है।

जब वह मांग करता है तो वह उसे देने के लिए उत्तरदायी होता है। हम में से नंबर 1, 2 और 4 हमारी पूर्ण सहमति के साथ शर्तों के लिए सहमत हुए और इस समझौते को निष्पादित करते हुए हम इस समझौते की सभी शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि उनमें से किसी के द्वारा समझौते की पालना न होने से नुकसान आदि होता है, तो जिस व्यक्ति ने अपना हिस्सा नहीं निभाया है, वह नुकसान आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और वह व्यक्ति तद्नुसार राशि वसूल करने के लिए हकदार है, हमने यह समझौता किया है।''

3. कथित तौर पर, उक्त पारिवारिक समझौते पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि अपीलार्थी ने 15000/-रुपये की राशि का भुगतान उत्तरदाताओं को नहीं किया था। अपीलकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा -

''VI. वादी ने आगे कहा कि कथित समझौता दिनांक 30.01.1973 कभी भी लागू नहीं हुआ है और उस पर कभी

कार्यवाही नहीं की गई है। पहले वादी सं. 1 को उक्त समझौते के तहत कभी भी कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, नोटिस दिनांक 05.05.1988 में किए गए कथन और इस सम्बन्ध में दिनांक 12.05.1988 का उत्तर स्पष्ट रूप से झूठा है, प्रतिवादी 1 ता 4 तक उक्त समझौते के तहत शेहर नहीं ले सकते हैं और वादी को वाद सम्पति में उनके वैध हिस्से से वंचित नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा प्रतिवादी सं. 6 व 9 इसमें पक्षकार नहीं होने से उक्त दस्तावेज वैध नहीं है।''

4. वाद-पत्र में दिए गए कथनों को अस्वीकार या विवादित नहीं किया गया है। हालांकि, अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि चूंकि दोनों पक्ष पारिवारिक समझौते पर पहुंच गए हैं और इसके एक हिस्से पर कार्यवाही कर दी गई है, इसलिए वादी/प्रतिवादीगण को मुकदमा दायर करने से रोक दिया जावे। विचारण न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी के तर्कों को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज किया। पक्षकारान ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवाद्यक तैयार किया -

''3. आया प्रतिवादी सं. 1 ता 3 साबित करते हैं कि वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 6 को समझौते दिनांक 30.03.1973 के

अनुसार उनके हिस्से के सम्बन्ध में पैसे का भुगतान किया गया था?''

5. उक्त विवाद्यक का पहला भाग, अर्थात् क्या अपीलार्थी ने वादी सं. 1 के पक्ष में 5000/-रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया था, का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। उक्त निष्कर्ष के बावजूद, दिनांक 30.03.1973 के कथित पारिवारिक समझौते के मध्यनजर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रतिवादी द्वारा उक्त डिक्री के विरूद्ध अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ उसी निर्णय को पलट दिया।

(1) पारिवारिक समझौते का उक्त विलेख दिनांक 30.03.1973 पंजीकृत न होना, कानून में अस्वीकार्य था।

(2) पारिवारिक समझौते पर कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि सभी पक्ष उस पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

यह राय थी:-

''11. न्यायालय का विचार है कि एक विभाजन था और वादी उसी के द्वारा शासित होता है और पृथक्करण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जहां पृथक्करण हो, वहां कानून की नजर में कोई विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए एक प्रारंभिक

डिक्री पारित की जानी चाहिए, जिसमें यह घोषित किया जाए कि वादी एक चैथाई हिस्से का हकदार है।

12. वादी के लिए यह खुला है कि वह विभाजन और अलग कब्जे के लिए अंतिम डिक्री की ओर बढ़ सकता है। यह प्रथम प्रतिवादी-रेस्पोडेंट के लिए खुला है कि वह जांच प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच के मिनटों में परिवार पर अपने पैसे खर्च करने के सम्बन्ध में अपने सभी दावे सामने रखे, जो उसकी सभी आपत्तियों पर विचार करेगा।''

6. अपील के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकील श्री एस.एन. भट्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पारिवारिक समझौते के विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

7. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक समझौते के उक्त विलेख को गलत तरीके से केवल इसलिए अप्रभावी माना गया है क्योंकि सभी पक्षों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे।

8. दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

9. उक्त दस्तावेज का निष्पादन प्रश्नगत नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी सह-शेयर धारक इसमें पक्षकार नहीं हैं। कोई भी सहमालिक अलग होने के अपने स्पष्ट इरादे को व्यक्त करके संयुक्त परिवार की स्थिति में पृथक्करण का कारण बन सकता है। इस तरह के आशय को विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करके भी व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन, संयुक्त स्थिति में इस तरह के अलगाव के बावजूद, पक्षकारान संयुक्त रूप से भूमि पर कब्जा करना जारी रख सकती हैं, जब तक कि संयुक्त परिवार की सम्पति का विभाजन सीमा के अनुसार नहीं होता है।

10. उक्त मामले के सन्दर्भ में इस न्यायालय का यह मत है कि पारिवारिक समझौते के उक्त विलेख को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्पति का त्याग भविष्य में प्रभावी होने के लिए किया गया था। जहां पर सीमाओं के अनुसार विभाजन नहीं हुआ है, वहां इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि इससे पहले कि अदालत संयुक्त परिवार की सम्पति के विभाजन के दावे को सभी सहमालिकों के कहने पर खारिज कर दे।

पारिवारिक समझौते के कारण, संयुक्त परिवार की सम्पति का सीमा के अनुसार पूर्ण विभाजन होना बताया गया है। सह-हिस्सेदार में से एक हालाँकि, उक्त कथित पारिवारिक समझौते में शामिल नहीं हुआ।

11. पक्षकारान के बीच अनुबंध, इसके अलावा, एक प्रासंगिक अनुबंध था। इसका प्रभाव उक्त राशि 15000/-रूपये वादी और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के भुगतान पर ही होना था। यह हमारे द्वारा पहले देखा गया है कि वास्तव में, यह पाया गया कि ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अपने लिखित बयान में किए गए दावों का कोई खंडन भी नहीं किया गया था। उक्त कथनों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 3, आदेश 8 नियम 5 इस प्रकार पढ़ा गया माना जाएगा -

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 8 नियम 3 - प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टतः होगा - प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य सम्बन्धी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकर नहीं करता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 8 नियम 5 - विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान -

(1) यदि वाद-पत्र में के तथ्य सम्बन्धी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टतः यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता तो जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा, परन्तु ऐसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

(2) जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वहां न्यायालय के लिए वाद-पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है, विधिपूर्ण होगा, किन्तु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

(3) न्यायालय उपनियम

(1) के परन्तुक के अधीन या उपनियम

(2) के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक् ध्याान देगा कि क्या वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है।

(4) इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था।''

12. इस प्रकार, एक तर्क वाद को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रासंगिक थी, जहां एक मुकदमे का विशेष रूप से निपटारा नहीं किया गया था, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने का हकदार था कि उसे स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

13. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने एक विवाद्यक यह भी तय किया और एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलार्थी ने उक्त राशि 15000/-रूपये का भुगतान वादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की है।

14. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी भी तरह की त्रुटि की है कि पारिवारिक समझौते के कथित विलेख के कारण, सहमालिकों ने संयुक्त परिवार की

सम्पति को बैठक और सीमा के अनुसार विभाजित नहीं किया था तथा वादी/प्रतिवादीगण को 15000/-रुपये की उक्त राशि प्राप्त करके संयुक्त परिवार की सम्पतियों में अपने अधिकारों को त्यागना भी बाकी था, लेकिन पारिवारिक समझौते के विलेख को इसका पूरा प्रभाव नहीं दिया गया था।

15. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि उस आधार पर भी, वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया जाना चाहिए था, इसलिए, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है जिसे तद्नुसार खारिज कर दिया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बी.बी.बी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेणुका शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।